

# डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्बन्धन/२३४४/११

दिनांक: १९/१०/११

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक,  
जसराना डिग्री कॉलेज,  
झपारा, जसराना, फिरोजाबाद।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या १५४०/सलर-२-२०११-२(६७६)/२००८ लखनऊ दिनांक ०६ जुलाई, २०११ द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००७) की धारा ३७(२) के अधीन आपके महाविद्यालय को स्विकृत पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संख्यान्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम में दिनांक ०१.०७.२०११ से उक्त पत्र में उल्लिखित चार शर्तों के अधीन १०० सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त पत्र दिनांक ०७ जुलाई, २०११ में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेंगे।

- संस्था शासनादेश संख्या-२८५१/सलर-२-२००३-१६(९२)/२००२, दिनांक ०२ जुलाई, २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी०ए० पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुरंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं कउन्सिलिंग के माध्यम से अर्जित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्पत्ती/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

यदि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त वर्णित पत्र में इंगित कर्मियों को समयान्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव (सम्बन्धन)

प्रतिनिधि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसूचित:-

- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, सेवा।
- निजी सचिव कुलपति।
- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर, कालूरा, आगरा।
- अधीक्षक, एकैडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

सहायक कुलसचिव (सम्बन्धन)